कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महासमुन्द (छ.ग.)

फोन नं.–07723–223305, फैक्स नं.–07723–223302, E-mail: msamund.cg@nic.in

// आदेश //

क्रमांक/**660**/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुंद, दिनांक **22**/07/2020

नोवेल कोरोना वायरस (कोविड–19) एक संक्रामक बीमारी है, जो भारत समेत पूरे विश्व में बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। जिला महासमुन्द समेत छत्तीसगढ़ राज्य में भी प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादात बढ़ती जा रही है। आज दिनांक की स्थिति में 104 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान महासमुन्द जिले में की जा चुकी है, जिनमें से कुल 12 मामले अभी भी एक्टिव हैं तथा लगातार संक्रमण का खतरा बना हुआ है। संक्रमण के रोकथाम के दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस के संपर्क से पीड़ित संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाये जावें।

कोविड–19 के प्रसार को देखते हुए, ऐसे प्रसार को रोकने वास्ते कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है, जिनके अमल वास्ते महामारी रोग अधिनियम, 1897 के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 1–26/2020/17–1, दिनांक 13.03.2020 के अंतर्गत दिये गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला महासमुन्द के 03 नगरीय निकाय क्षेत्रों (**महासमुन्द नगर पालिका, बागबाहरा नगर पालिका, बसना नगर पंचायत**) के सीमा अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं संभावित स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु **दिनांक 25.07.2020 (12:01 AM) से दिनांक 31.07.2020 (11:59 PM) तक,** पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) की जाती है एवं उक्त सम्पूर्ण इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है।

अ. जिले के उक्त तीनों नगरीय निकाय क्षेत्रों में यह भी आदेशित किया जाता है कि :–

1. समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को घोषित समयावधि में अनिवार्यतः बंद रखा जायेगा एवं सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घरों से कार्यों का निष्पादन करेंगे। केवल शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों हेतु, आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे।
2. समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाओं (जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो–रिक्शा, ई–रिक्शा, रिक्शा, इत्यादि भी शामिल हैं) के परिचालन को घोषित समयावधि में बंद किया जाता है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसे निजी वाहन भी जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहें हों, उन्हें अपवादिक स्थिति में तत्कालीक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।
3. आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर उन क्षेत्रों की सभी सीमाओं को एतद् द्वारा सील किया जाता है। सिर्फ वाणिज्यिक कार्गो (Commercial Cargo) परिवहन की अनुमति ही इस प्रतिबंधित क्षेत्र में (रात में भी) होगी।
4. सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट–बाजार, आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को घोषित समयावधि में बंद रखेंगे।
5. सभी फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली इकाईयों को निम्न शर्तों के अधीन छूट रहेगी :–

   क – यथासंभव श्रमिकों के रहने की व्यवस्था फैक्ट्री/इकाईयों के अंदर करनी होगी।

   ख – आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था फैक्ट्री/ईकाईयों को स्वयं करनी होगी।

   ग – संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय–समय पर अन्य संस्थानों द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु जारी समस्त निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करना होगा।

   घ – इन इकाईयों से धनात्मक मरीजों की पहचान होने पर ईलाज पर होने वाले समस्त व्ययों का वहन इन इकाईयों को ही करना होगा।

6. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।

7. विदेश से आने वाले सभी नागरिक/अन्य राज्यों से आए हुए नागरिको को Home Quarantine की निगरानी में रखे गए हैं, उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे स्वास्थ्य विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित Quarantine की अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे। इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता, 1860 के धारा 188 के तहत् कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

8. सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर मास्क का उपयोग करते हुए एवं सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना कोई भी वैध फोटोयुक्त पहचान-पत्र साथ में रखना होगा और मांगे जाने पर अनिवार्यतः दिखाना होगा।

9. उक्त तीनों नगरीय निकाय क्षेत्रों को छोड़कर, जिले के अन्य क्षेत्रों में स्थित फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाले संस्थान/इकाईयों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।

ब. फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल डिस्टेसिंग रखने के संबंध में समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्नलिखित कार्यालय/प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा जाता है :-

1. कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, थाना एवं चौंकी, ये सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे। उपरोक्त शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगन्तुकों का प्रवेश नहीं होगा।
2. पंजीयन कार्यालय (ऐप-पास के माध्यम से प्राप्त निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर)
3. भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय
4. कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी
5. स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं)
6. दवा दुकान, चश्मे की दुकान, दवा उत्पादन की इकाई एंव संबंधित परिवहन
7. खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें,
8. उचित मूल्य की दुकान (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) एवं छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 4-9/2014/29-1, दिनांक 24.03.2020 में घोषित आवश्यक सेवायें,
9. ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा-जाकर फल, सब्जी विक्रय करने वाले व्यक्तियों को विकय करने की अनुमति प्रातः 06:00 से प्रातः 10:00 बजे तक होगी।
10. फल एवं सब्जी, डेयरी पार्लर (केवल दूध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रेता), चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के उत्पादन/विक्रय/वितरण/भंडारण/परिवहन की गतिविधियां। ऐसी संस्थाओं में एक समय पर एक ही स्थान में 05 (पांच) से अधिक ग्राहक एकत्रित नहीं होंगे तथा प्रत्येक 03 (तीन) घण्टों में अपने परिसर की साफ-सफाई की जाये, ऐसी व्यवस्था उक्त संस्था प्रबंधक को बनाये रखना होगा। इस कंडिका में लॉक-डाउन से प्राप्त छूट, विक्रय एवं वितरण के लिए, प्रातः 06:00 से प्रातः 10:00 बजे तक रहेगी। फल और सब्जियों के विक्रेता जो अस्थायी दुकान/पसरे लगाते हैं, उन्हें स्थानीय मुख्य नगरीय निकाय अधिकारी द्वारा, वार्डवार चिन्हित स्थानों पर ही बैठ कर, अन्य शर्तों का पालन करते हुए विक्रय करने की अनुमति प्रातः 06:00 से प्रातः 10:00 बजे तक होगी।
11. दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट)

Khoel
22-07-'20

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला-महासमुंद (छ.ग.)
सत्यमेव जयते

12. घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 10.00 बजे एवं सायं 05:00 बजे से सायं 06:30 बजे तक एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
13. बिजली, पेयजलपूर्ति एवं नगरीय निकाय सेवाएं जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल, इत्यादि भी शामिल हैं।
14. जेल सेवाएं,
15. अग्निशमन सेवाएं,
16. ए.टी.एम., ए.टी.एम. वाहन,
17. टेलीकाम / इंटरनेट सेवाएं / आई.टी. आधारित सेवाएं,
18. पेट्रोल / डीजल पंप एवं एल.पी.जी. / सी.एन.जी. गैस के विक्रय, परिवहन (प्रातः 06:00 से प्रातः 10:00 बजे तक) एवं भण्डारण की गतिविधियों की अनुमति होगी।
19. पशु चारा विक्रय (प्रातः 06:00 से प्रातः 10:00 बजे तक) एवं भण्डारण
20. पोस्टल सेवाएं,
21. खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई–कामर्स आपूर्ति,
22. सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेन्सियां (निजी एजेंसियों सहित),
23. कृषि उपकरण, न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित एजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेंसियां (इसमें मण्डी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मण्डियां भी शामिल हैं),
24. कृषि आदान विक्रय ईकाईयां, कृषि मशीनरी विक्रय, इससे संबंधित स्पेयर पार्ट्स की दुकानें (प्रातः 06:00 से प्रातः 10:00 बजे तक), इसके सप्लाई चेन सहित
25. प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क संचालनालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक 1178 / जसं / 2020 दिनांक 24.03.2020 में उल्लेखित 04 सेवायें।
26. राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवाएं।

Khoel 22-07-'20

स. उक्त तीनों नगरीय निकायों के सीमाक्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :–

01. सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों / अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय–समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे।
02. सभी बैंकों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामुहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं करायी जावेगी।
03. सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम पांच ग्राहकों को ही प्रवेश देंगे।
04. बैंक द्वारा संचालित ए.टी.एम. में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

द. निजी प्रतिष्ठान, जो ऊपर लेख कंडिका–ब. में वर्णित गतिविधियों के लिए वांछित है एवं कोविड–19 के रोकथाम के प्रयासों से संबंधित है, खुले रहेंगे। ऐसे सभी प्रतिष्ठान निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

ई. (1) उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / प्रतिष्ठान, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत् दण्डनीय होंगे।
(2) उपयुक्त वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला-

उ. महामारी रोग अधिनियम, 1897 एवं इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 1–26/2020/17–1, दिनांक 13.03.2020 के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए यह आदेश जारी किया जा रहा है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

22-07-20

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/**660**/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुंद, दिनांक **22**/07/2020

प्रतिलिपि :–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
03. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
04. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
05. आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ।
06. पुलिस अधीक्षक, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
07. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
08. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुन्द को सूचनार्थ। सभी जनपद पंचायत एवं सभी ग्राम पंचायत कार्यालयों के सूचना पटल पर इस आदेश की एक प्रति चस्पा कराई जावे।
09. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, महासमुन्द/बागबाहरा/पिथौरा/सरायपाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आपके कार्यालय के सूचना पटल पर इस आदेश की एक प्रति चस्पा कराई जावे।
12. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आपके कार्यालय के सूचना पटल पर इस आदेश की एक प्रति चस्पा कराई जावे।
13. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आपके कार्यालय के सूचना पटल पर इस आदेश की एक प्रति चस्पा कराई जावे।
14. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आपके कार्यालय के सूचना पटल पर इस आदेश की एक प्रति चस्पा कराई जावे।
15. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, महासमुन्द को आदेश की एक प्रति जिले की वेबसाईट में अपलोड किये जाने बाबत्।
16. सहायक संचालक, जनसम्पर्क महासमुन्द को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ तथा अपने शासकीय स्तर से, शोसल मिडिया के माध्यम से प्रसारित किये जाने हेतु अग्रेषित।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)